न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
117 / 2024	21.03.2024	01.05.2025

उर्मिला पुत्री स्व0 हरभजन पत्नि रमेशचन्द जाति मीना निवासी जीवली तहसील वजीरपुर हाल वासी कस्बा शहर तहसील नादौती —प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1243 रकबा 0.30 हे0, खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.72 हे0, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हे0 में प्रार्थिया का हिस्सा हाल जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थिया मूलतः ग्राम जीवली तहसील वजीरपुर की निवासी है तथा कस्बा शहर तहसील नादौती में ससुराल है। प्रार्थिया के पिता हरभजन पुत्र स्व0 रतनलाल की मृत्यु दिनांक 12.10.2001 को हो चुकी है। उनकी विरासत के नामान्तरकरण में सहवन से प्रार्थिया का बोलता नाम उरमा पुत्री हरभजन अंकन कर दिया है। उरमा व उर्मिला दोनों एक ही महिला मेरे ही नाम है जिनमें उर्मिला सही नाम है। प्रार्थिया के समस्त सरकारी एवं घरेलू दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि में सही नाम उर्मिला मीना दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 27.2.2024 को के0सी0सी0 के लिए खातेदारी की जमाबंदी की नकल लेने से एवं हलका पटवारी द्वारा के0सी0सी0 पत्रावली में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत नाम का अंकन होने की वजह से रिपोर्ट नहीं करने की बात कहने से गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1243 रकबा 0.30 हे0, खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.72 हे0, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हे0 ग्राम जीवली में प्रार्थिया का नाम उरमा के स्थान पर उर्मिला करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी राशन कार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी जनाधार कार्ड, फोटोकोपी मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोकोपी शपथपत्र उर्मिला मीना,फोटोकोपी

1/5/2025

पेनकार्ड, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र हरभजन मीना, फोटोकोपी नकल जमाबंदी आधारवर्ष सं0 2039 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/698 दिनांक 7.8.2024 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई है। रिपोर्ट में तहसीलदार वजीरपुर ने अंकित किया है कि ग्राम जीवली की वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर 1243, 1248 व 1269 में उरमा पुत्री हरभजन दर्ज रेकार्ड है। जांच करने पर पाया गया कि उरमा व उर्मिला दोनों एक ही महिला है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। अतः उरमा के स्थान पर उर्मिला शुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट के साथ तहसीलदार वजीरपुर ने पटवारी हलका जीवली की मूल रिपोर्ट, नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 86 ग्राम जीवली, फर्द मौका दिनांक 11.6.2024 आदि प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का तहसीलदार वजीरपुर की ओर से जो जबाब प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार वजीरपुर के जबाब के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि खसरा नम्बर 1243 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 है0 ग्राम जीवली तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 86 में दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राज 1. उरमा पुत्री हरभजन हिस्सा 1/3 मीना सा0देह खातेदार

1/5/2025

के स्थान पर खातेदारी इन्द्राज 1. उर्मिला पुत्री हरभजन हिस्सा 1/3 मीना सा0देह खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलक्टर
वजीरपुर (स०माधोपुर)